अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

मो. सदीक पुत्र नानू जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 03, पंखा रोड़, चूरू (राज.)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. सलीम पुत्र बरकत
2. खैरदीन पुत्र रजाक
3. श्रीमती मैना पुत्री बरकत
4. श्रीमती बानो पुत्री बरकत
5. श्रीमती आमीना पुत्री बरकत
6. राबिया पुत्री रजाक

(1–6) जाति तेली निवासीगण वार्ड संख्या 03, पंखा रोड़, चूरू (राज.)

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

8. स्व. बशीर
9. साबिर
10. शौकत
11. सलीम
12. श्रीमती जरीना
13. श्रीमती मदीना
14. श्रीमती जमीला
15. श्रीमती राबिया

(8–15) पुत्र–पुत्रियां स्व. नानू जाति तेली निवासीगण वार्ड संख्या 03, पंखा रोड़, चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.</u>

मुकदमा नं. 698 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री हीरालाल एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सूर्यप्रकाश एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:18 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 3.7560 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 110 तादादी 2.7190 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	सलीम पुत्र बरकत जाति तेली निवासी चूरू खातेदार	104 मी. 110 मी.	1.2520 0.9063	बारानी बारानी
		किता–2	2.1583	बारानी
2.	खैरदीन पुत्र रजाक जाति तेली निवासी चूरू खातेदार	104 मी. 110 मी.	1.2520 0.9063	बारानी बारानी
		किता–2	2.1583	बारानी
3.	सदीक, साबिर, सलीम, शौकत पि. नानू जाति तेली निवासी चूरू ब.हि.ब. खातेदार	104 मी. 110 मी.	1.2520 0.9064	बारानी बारानी
		किता–2	2.1584	बारानी

तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:18 IST
Reason: SelfAttested